(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3788–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–9–13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर प्रकरण कमांक 63/अपील/12–13.

श्रीमती शारदा पति मनोज कासलीवाल
निवासी 16, 17 गुलमोहर कॉलौनी, इंदौर .....आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती मोनादेवी पति एन.एस. बेंद्रे तर्फे वारिस
चिरायु पिता पद्भनाभम बेन्द्रे
निवासी 30–31, साकेत नगर, इंदौर .....अनावेदिका

श्री के.के. द्विवेदी व श्री टी.टी. गुप्ता अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर0डी0शर्मा व श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/9/14 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभगीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–2–1989 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 63/अपील/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदिका के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अनावेदिका द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–9–13 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) दिनांक 27–8–13 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत बहस के आधार पर प्रकरण में आदेश हेतु दिनांक 10–2–13 नियत की गई जा चुकी थी । इस आधार पर कहा गया कि एक बार आदेश हेतु नियत हो जाने के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है । तर्क के समर्थन में 1974 आरएन 120 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(2) संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराये जाने के आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जबकि अनावेदिका द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(3) प्रकरण दिनांक 10–9–2013 को आदेश हेतु नियत थी और बिना शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र दिनांक 3–9–13 में सुनवाई में लेने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कानून की अवहेलना की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है जिसमें आवेदन पत्र स्वीकार करने का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में पेशी दिनांक 27–8–13 नियत थी, किन्तु अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा त्रुटिवश दिनांक 3–9–13 नोट कर ली गई थी । इस कारण अनावेदिका के अनुपस्थित रहने में उसकी सद्भावना थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण दोनों पक्ष को सुनकर किया जाना चाहिये । इसी उद्देश्य से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही समाप्त करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना है, परन्तु आवेदिका द्वारा गुणदोष पर निराकरण नहीं होने देने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर आवेदन पत्र समय सीमा में मान्य करते हुये स्वीकार किया गया है जो कि पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही है क्योंकि उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करने से प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण हो सकेगा । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभगीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर